

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दारु कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 367/सी-28269/11/वित्त/नियम/चार/

रायपुर, दिनांक 11.11.2011

प्रति,

1. प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण/जल संसाधन/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, रायपुर ।
2. समस्त प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण/ जल संसाधन/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में कार्य विभागों के प्रत्यायोजनों का संशोधन ।


संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 35/सी-28267/वित्त/नियम/चार/2010 दिनांक 02.02.2010

वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों में से वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 02.02.2010 द्वारा प्रतिस्थापित अनुक्रमांक 88 के प्रत्यायोजनों को अधिक्रमित करते हुए संलग्न प्रपत्र अनुसार वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं । पूर्व में सौंपे गये अन्य प्रत्यायोजन यथावत रहेंगे ।

2. संबंधित विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों/शाखाओं को अपने स्तर पर सूचित करें ।
3. यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

संलग्न:- एक प्रपत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


Ravinder

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

WORKS DEPARTMENT

(Public Works Department, Water Resource Department, Public Health Engineering Department)

S. No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of delegation	Condition
88	To accord administrative approval for construction works except residential building (not included as new item in the budget).	Administrative Department	Up to Rs. 80 lakhs per work	i- Subject to the condition that the subjected construction work does not fall under the criteria of new instrument of services.
		Engineer-in-Chief	Up to Rs. 50 lakhs per work	ii- In any case revised cost of such construction should not exceed Rs.1 crore.
		Chief Engineer	Up to Rs. 20 lakhs per work	iii- This delegation shall apply only to one complete work and not to a fraction of it.



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग